राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2353/2024

वन्दना शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.07.2024
आदेश की दिनांक : 22.07.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 17.10.2005 को अध्यापक ग्रेड–II (अंग्रेजी) के पद पर हुई और अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 की रिक्ति के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया। वर्तमान में अपीलार्थी उप प्राचार्य के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बोयथावाला, झोटवाड़ा, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.07.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति पद उप प्राचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिहारीपुरा, जालसू, जयपुर में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी का पुत्र 70 प्रतिशत से अधिक की स्थायी विकलांगता से ग्रस्त है। अपीलार्थी के पुत्र का विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रति अनुलग्नक–2 पर अवलोकनीय है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 17.02.2023 और उसके बाद आदेश दिनांक 21.02.2023 द्वारा वर्ष 2022–23 की रिक्ति के विरूद्ध उप प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया और सभी पदोन्नत कर्मचारियों को उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदोन्नति पद पर शामिल होने के लिए निर्देशित किया गया, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने वर्तमान विद्यालय में उप प्राचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से जानकारी प्रस्तुत की थी कि उसका पुत्र 70 प्रतिशत से अधिक स्थायी विकलांगता से ग्रस्त है और इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रोफार्मा भी भेजा गया (अनुलग्नक–3)। वर्तमान स्थान पर उप प्राचार्य के पद पर कोई पदस्थापित नहीं है।

अतः इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाचार्य ने दिनांक 12.07.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा पत्र लिखा कि वर्तमान विद्यालय में उप प्राचार्य का पद रिक्त है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.07.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में प्रशासनिक विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)